(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक-   /2016/निगरानी   निग-629-III/16

श्री ... द्वारा आज दि. 19-2-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ... 19/2/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S.L. Dhulkar Adv. 19/2/16

सिरनाम सिंह पुत्र श्री बच्चू रावत,
उम्र-72वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी
-ग्राम करनगढ़ तहसील नरवर जिला
शिवपुरी (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र लवली सिंह
2. नवल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह
3. भारत सिंह पुत्र श्री हरी सिंह
4. राघवेन्द्र ना.वा. पुत्र नवल सिंह
   जर्ये सरपरस्त पिता नवल सिंह
5. रामकुअर पुत्री नवली सिंह रावत,
   निवासीगण-ग्राम करनगढ़ तहसील
   नरवर जिला शिवपुरी (म0प्र0)

----अनावेदकगण

निगरानी आवेदन-पत्र धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.04.2015 पारित न्यायालय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-104/13-14/ अपील एवं आदेश दिनांक 06.12.2013 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक-104/2012-13/अपील।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

I/D/TULSHI/Legal/55

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

सिरनाम सिंह/ हरीसिंह आदि

प्रकरण कमांक निग0 629–तीन/16 **जिला –शिवपुरी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/3/2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के प्रकरण कमांक 104/2013–14/अपील में आदेश दिनांक 6–12–2013 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । विचाराधीन भूमि आवेदक तथा अनावेदकों के संयुक्त स्वामित्व की भूमि थी । विचाराधीन भूमि का ग्राम पंचायत विची तहसील नरवर के प्रस्ताव ठहराव के आधार पर पंजी कमांक– 9 दिनांक 9–3–2012 को सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया । । अनावेदकों द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6–12–2013 के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । परन्तु अपर आयुक्त, ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अंतरिम स्वरूप का मानते हुए दिनांक 28–4–2015 को अपील निरस्त कर दी । अपर आयुक्त, के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की । अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये धारा–5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया । अपर आयुक्त, द्वारा दिनांक 28–4–2015 को आदेश दिया ।	

R 629-III/16 शिवपुरी

जिसकी जानकारी दिनांक 5–6–2015 को हुई तथा दिनांक 16–12–2015 को ग्वालियर आने तथा अपील दिनांक 23–12–15 को प्राप्त होने से 16–12–2015 को यह निगरानी प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है । धारा–5 अवधि विधान के आवेदन पत्र के संबंध में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रकट होता हो कि अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी उसे विलम्ब से कब प्राप्त हुई । अपर आयुक्त को अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील सुनने की अधिकारिता नहीं है । एवं उनके द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य न होने से समाप्त की गयी है । इसमें कोई त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी विचाराधीन प्रकरण में बटवारा फर्द तैयार करने, पुनः इस्तहार जारी करने तथा साक्ष्य हेतु प्रकरण निर्धारित किया है । इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है । अतः उक्त आधार पर निगरानी ग्राह्य करने को कोई औचित्य न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य